

डिकरी ब मुकदमें इब्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

ज अदालत मुकाम व

इजलास श्री नीनदमाव का कोषिमा R:A:D.

अमर सिंह कादि बनाम 2वां कल्याणसिंह कादि

दावा बाबत शवा कृषि भूमि के विभाजन

मुकदमा नं० 23/14 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु

हाजरी श्री रामसिंह 25 मिनजानिब मुदई व श्री सुल्तानगीह 15 श्री कजरंगसिंह 15

मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

(क) वादी सं. 1 अमरसिंह व गौण प्रतिवादी गण सं. 8 ता 10 (शेन कंवर, महावीरसिंह व मनोहर सिंह) के हिस्से पॉर्ति में खेत ख. सं. 460 ताड़ा 29 बीघा 15 बिश्वा सम्पूर्ण व खेत ख. सं. 110 मीन ताड़ा 8 बीघा 10 बिश्वा पूर्वी दाई सं. 2 के पश्चिमी कोर की वाके रोही सड़क की भूमि व खेत ख. सं. 291 मीन ताड़ा 16 बिश्वा 9 बिश्वा पूर्वी कोर की वाके रोही तहनडेतर की भूमि की (वातेदारी) अलग भिये जाने के फोर्डेय इपे जाते हैं।

(ख) दाई सं. 2 छोटीसिंह व वादी सं. 3 पडमीसिंह के हिस्से पॉर्ति में खेत ख. सं. 110 मीन ताड़ा 7 बीघा वादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के इतरी पश्चिमी कोर की व खेत ख. सं. 210 ताड़ा 3 बिश्वा 12 बिश्वा सम्पूर्ण व खेत ख. सं. 138 मीन ताड़ा 6 बीघा पश्चिमी कोर की वाके रोही सड़क की व खेत ख. सं. 269 ताड़ा 3 बिश्वा 16 बिश्वा सम्पूर्ण व खेत ख. सं. 289 सम्पूर्ण ख. सं. 19 बिश्वा 11 बिश्वा भूमि वाके रोही तहनडेतर की भूमि की (वातेदारी) अलग भिये जाने के फोर्डेय इपे जाते हैं।

चीज मुबलिंग बाबत उपखण्ड अधिकारी

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक को अदा करे। *

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 07 2018



मुहर

दस्तखत ओहदा

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		

(अ) प्रतिवर्षी क्र. 1 स्वयं चक्राणालय के वारिसान प्रतिवर्षी क्र. 1/1 से 1/6 के हिसाबे पॉलि क कब्जा काबत में खेत क्र. सं 266 भीम नाडाडी 5 बीघा 19 बिस्वा 3 बीघा और की क खेत (क. सं 138 भीम नाडाडी 12 बिस्वा 18 बिस्वा 2 बीघा) की ^{कब्जे रोही सड़क वही} ~~कब्जे रोही सड़क वही~~ खाते द्वारा अलग किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवर्षी क्र. 1 के वारिसान 1/1 से 1/6 का नाम वाले रोही सड़क वही की भूमि में से हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(ब) प्रतिवर्षी क्र. 2 मडगाँव के हिसाबे पॉलि में खेत क्र. सं 15 नाडाडी 06 बिस्वा सम्पूर्ण क. सं. 111 नाडाडी 11 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण क. सं. 110 भीम नाडाडी 5 बीघा 19 बिस्वा वडी क्र. 1 व गौण प्रतिवर्षीगण क्र. 8 ता 10 के शर्की और की भूमि क खेत क्र. सं. 274 नाडाडी 04 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण क. सं. 266 भीम नाडाडी 19 बीघा 03 बिस्वा वाले रोही सड़क वही की भूमि क खेत क्र. सं. 290 नाडाडी 17 बिघा 19 बिस्वा वाले रोही सड़क वही की भूमि की खातेदारी भूमि अलग किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(ग) प्रतिवर्षी क्र. 3 श्रीमती गंगादेवी के हिसाबे पॉलि में खेत क्र. सं. 291 भीम नाडाडी 13 बीघा 6 बिस्वा 3/16 हिसाबे पश्चिमी और की भूमि की खातेदारी अलग किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रतिवर्षी क्र. 6 को आदेश दिया जाता है कि वडीगण व गौण प्रतिवर्षीगण व प्रतिवर्षीगण के नाम से अलग अलग वादगत खातेदारी की भूमि का विभाजन क. सं. 1 व ड में अक्षिता गुप्ता के किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग खातेदारी दर्ज की जावे। तथा नकशा में दर्शाया दिया जावे और अलग अलग लज्जत वाजफ किया जावे वडी क्र. 1 व गौण प्रतिवर्षी क्र. 8 ता 10 व प्रतिवर्षी क्र. 1 के वारिसान 1/1 से 1/6 के द्वारा अपने हिसाबे पॉलि की भूमि प्रतिवर्षी क्र. 4 व 5 के सहा रोही सड़क जो यथावत के रूप में दर्ज रहे पचा 13 बीघा 1 बीघा 4 अण्डा - अण्डा वडक रहे।



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (मध्य)